# डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)आमेर मु॰ जयपुर**

पीठासीन अधिकारी – **श्री सुरेश चौधरी(आर.ए.एस)**

निर्णय दिनांकः 10.05.16

वाद सं 97/2013

1. प्रभुदयाल पुत्र हरदेव (मृतक)
1/1 सरजू देवी पत्नि स्व. प्रभुदयाल
1/2 शंकर पुत्र स्व. प्रभुदयाल
1/3 हरिनारायण पुत्र स्व. प्रभुदयाल
1/4 गौरीशंकर पुत्र स्व. प्रभुदयाल
1/5 प्रेम देवी पुत्री स्व. प्रभुदयाल
1/6 सुशीला पुत्री स्व. प्रभुदयाल
1/7 विमला पुत्री स्व. प्रभुदयाल
समस्त जाति– ब्राहमण, निवासीगण– देव का हरवाडा तहसील आमेर जिला– जयपुर

– वादीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जि. जयपुर
2. महेश पुत्र बृजमोहन
3. गणपत पुत्र जगन्नाथ
4. प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ
5. फूलचंद पुत्र जगन्नाथ
6. छगनलाल पुत्र जगन्नाथ
7. सीताराम पुत्र रामरतन
8. हजारीलाल पुत्र रामरतन
9. वंशीधर पुत्र जगन्नाथ
10. गोकुल लाल पुत्र रामरतन
11. मदन पुत्र रामरतन
12. सोहन पुत्र रामरतन
13. परमानन्द पुत्र रामनिवास
14. हरिशंकर पुत्र रामनिवास(मृतक)
14/1. अजय पुत्र स्व॰ हरिशंकर
14/2 कमल पुत्र स्व॰ हरिशंकर
15.दयानन्द पुत्र रामनिवास (मृतक)
15/1 कृष्ण देवी पत्नि स्व॰ दयानन्द
15/2 दीपक पुत्र स्व॰ दयानन्द
15/3 पूजा पुत्री स्व॰ दयानन्द

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

प्रभुदयाल बनाम सरकार व अन्य
मु.नं. 97/2013

15/4 ज्योति पुत्री स्व॰ दयानन्द
16.खुशीराम पुत्र रामनिवास
17.श्री किशन पुत्र रामनिवास
18.हुकमचंद पुत्र रामनिवास(मृतक)
18/1 मीनाक्षी पुत्री स्व॰ हुकमचंद
18/2 योगेश स्व॰ हुकमचंद
18/3 शैंकी स्व॰ हुकमचंद
19. सोहनलाल पुत्र रामनिवास(मृतक)(नाम हजफ)
20. रामकिशोर पुत्र हरसहाय
21.रामस्वरूप पुत्र हरसहाय
22.राजानन्द पुत्र हरसहाय
23.रामानन्द पुत्र हरसहाय
समस्त जाति–ब्राहामण,निवासी–ग्राम देव का हरवाडा तहसील आमेर जिला– जयपुर

–प्रतिवादीगण

**दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड व नक्शा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**निर्णय**

दिनांकः 10.05.2016

उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की सहमति एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाके ग्राम देवकाहरवाडा तह॰आमेर जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि आ.ख.न. 1180/1325 रकबा 0.10 है व आ.ख.नं. 1161 मिन.रकबा 0.15 है के उतरी भाग का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं.13 ल.23 को (मृतक प्रतिवादीगण सं. 14,15,18 के कायम मुकामान को शामिल करते हुए) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के खातेदारी ख.नं. 1177 के रकबा 1.10 है को दुरूस्त कर रकबा 0.85 है दर्ज किया जाने के आदेश दिए जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 2ल.12 के खातेदारी के खं.नं. 1186 का रकबा 0.85 है के स्थान पर 1.10 है दर्ज किया जाने के आदेश दिए जाते है तथा खं.नं. 1165 रकबा 0.07 है अंकितानुसार दर्ज गे.मु.रास्ता निरस्त कर पूर्वानुसार अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.05.2016 को जारी किया।

दस्तखत–
ओहदा–

**सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट**
**फास्ट ट्रेक आमेर मु॰ जयपुर**

| मुददई | रूपये | पैसे | मुददायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – | स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | | | |
| खर्चा गवाहन | | | | | |
| फीस कमिश्नर | | | | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | | | |
| मुतफरित | 4 रूपये | | | 4 रूपये | |
| मीजान | | | | | |

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर

वाद सं. 97/2013 निर्णय दिनांक :- 10.05.16

पीठासीन अधिकारी - श्री सुरेश चौधरी
(आर. ए. एस.)

1. पमूदयाल पुत्र हरदेव (मृतक)
1/1 सरजू देवी पत्नि स्व. पमूदयाल
1/2 शंकर पुत्र स्व. पमूदयाल
1/3 हरिनारायण पुत्र स्व. पमूदयाल
1/4 गौरी शंकर पुत्र स्व. पमूदयाल
1/5 प्रेमदेवी पुत्री स्व. पमूदयाल
1/6 सुशीला पुत्री स्व. पमूदयाल
1/7 विमला पुत्री स्व. पमूदयाल

समस्त जाति - ब्राह्मण, निवासीगण - देव का हरवाडा तहसील आमेर जिला - जयपुर

- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जि. जयपुर
2. महेश पुत्र भूजमोहन
3. गणपत पुत्र जगन्नाथ
4. प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ
5. फूलचंद पुत्र जगन्नाथ
6. हगनलाल पुत्र जगन्नाथ
7. सीताराम पुत्र रामरतन
8. हजारीलाल पुत्र रामरतन
9. वंशीधर पुत्र रामरतन

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर



P.T.O.

10-05-16

10. गोकुल लाल पुत्र रामरतन
11. मदन पुत्र रामरतन
12. सोहन पुत्र रामरतन
13. परमानन्द पुत्र रामनिवास
14. हरिशंकर पुत्र रामनिवास (मृतक)
14/1 अजय पुत्र स्व० हरिशंकर
14/2 कमल पुत्र स्व० हरीशंकर
15 दयानन्द पुत्र रामनिवास (मृतक)
15/1 कृष्णा देवी पत्नी स्व० दयानन्द
15/2 दीपक पुत्र स्व० दयानन्द
15/3 पूजा पुत्री स्व० दयानन्द
15/4 ज्योति पुत्री स्व० दयानन्द
16. खुशीराम पुत्र रामनिवास
17. श्री किशन पुत्र रामनिवास
18. हुकमचंद पुत्र रामनिवास (मृतक)
18/1 मीनाक्षी पुत्री स्व० हुकमचंद
18/2 योगेश पुत्र स्व० हुकमचंद
18/3 शैंकी पुत्र स्व० हुकमचंद
19. सोहनलाल पुत्र रामनिवास (मृतक) (नाम हजफ)
20. रामकिशोर पुत्र हरसहाय
21. रामस्वरूप पुत्र हरसहाय
22. गजानन्द पुत्र हरसहाय
23. रामानन्द पुत्र हरसहाय

समस्त जाति - ब्राह्मण, निवासी - ग्राम देवका हरवाडा, तहसील आमेर जिला - जयपुर

कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

दावा - दुरुस्ती रिकार्ड एवं नक्शा व स्थाई निषेधाज्ञा

## आदेश

10.05.16 वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 13 ल. 23 वाके ग्राम देवका हरवाडा तह. आमेर जिला-जयपुर स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 396 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा के रिकॉर्ड खातेदार व काबिज काश्तकार है एवं उक्त अराजी पर मुद्दत कदीम से काबिज रह काश्त करते आ रहे हैं। हाल बन्दोबस्त में उक्त खसरा नम्बर 396 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1153, 1162 से 1166, 1169, 1177 से 1182, ख.नं. 1176/1440 (कुल किता-14) बनाए गए। गत खसरा नम्बर 396 के नक्शा रिकॉर्ड व मौके के विपरीत ख.नं. 1180/1325 रकबा 0.10 है. एवं ख.नं. 1161 मिन-उत्तरी भाग रकबा 0.5 है. प्रतिवादीगण सं. 01 ल. 12 के खाते में गलत तौर पर अंकन किए गए है। जो वादी के गत ख.नं. 396 के भाग है, जिन्हें वादी द्वारा वाद पत्र के संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त प्रदर्शित क्षेत्र वादी के गत ख.नं. 396 का भाग है जो करवक्त भूमि एकीकरण गत बन्दोबस्त के ख.नं. 1095 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 1097 मिन रकबा 09 बिस्वा, ख.नं. 1092 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा व ख.नं. 1093 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा से बनाया गया था। भू प्रबन्ध कर्मचारीगण द्वारा विपक्षी प्रतिवादीगण सं. 01 ल. 12 को लाभ देने की गरज से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 13 ल. 23 के खातेदारी क्षेत्र को कम करके इसकी पूर्ति मनमाने तौर पर ख.नं. 1177 में 0.25 है. रकबा वास्तविक रकबे से अधिक दर्ज कर दिया जो दुरुस्त किया जाने योग्य है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 13 ल. 23 के खातेदारी गत ख.नं. 396 के राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं था। तथा ना ही मौके पर रास्ता है। भू-प्रबन्ध विभाग ने वर्तमान रिकॉर्ड में नया रास्ता ख.नं. 1165 रकबा 0.07 है. कायम कर वादी के चाही रकबे को कम कर दिया

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर



P.T.O.

10-5-16 है। जो दुरुस्त किया जाने योग्य है। अत: ग्राम देवका हरवाडा तह. आमेर जिला-जयपुर स्थित विवादित भूमि आ.ख.नं. 1188/1325 रकबा 0.10 है. व ख.नं. 1161 मिन रकबा 0.10 है. का उत्तरी भाग (जो परिशिष्ट में लाल स्याही से दिखाया गया है) पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 13 ता. 23 को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराया जावे। तथा ख.नं. 1177 के रकबा 1.10 है. की दुरुस्ती की जाकर वास्तविक रकबा 0.85 है. दर्ज किया जावे तथा ख.नं. 1165 रकबा 0.07 है. का रास्ता निरस्त कर पूर्वानुसार चाहीअंश में शामिल किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 13 ता. 23 के खातेदारी अंश में मदाखलत नहीं करे।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060, नकल खाता सं. 162 जमाबन्दी सम्वत 2038-2041, नकल मिलान क्षेत्रफल गत ख.नं. 396, नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण चक नं. 396, नकल नक्शा चक नं. 396 एकीकरण, नकल नक्शा हाल ख.नं. 1158 ता. 1186 आदि की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की।

वाद पत्र के उत्तर में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 12 द्वारा जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वाद डिक्री किए जाने बाबत सहमति/अनापत्ति व्यक्त करते हुए कथन कर स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण के ख.नं. 1180/1325 रकबा 0.10 है. व ख.नं. 1161 रकबा 0.46 है. में से रकबा 0.15 है. का उत्तरी भाग वादी के ख.नं. 1162 व 1163 के सींव जोड़ गत ख.नं. 396 का भाग है जो वर्तमान में हमारे खाते में गलत अंकन किए गए है। उक्त अंश को वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के खाते में अंकन कर दिया जावे तो हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु यदि उक्तानुसार वाद डिक्री

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर



P.T.O.

10-5-16 किया जाता है तो मिन जवाबदाता काउन्टरक्लेम कर्ता का रकबा 0.25 है. पूर्व रकबे में से कम हो जाएगा। प्रतिवादीगण सं. 2 ल. 12 द्वारा अपने जवाब वादपत्र में आगे कथन किया गया है कि वर्तमान बन्दोबस्त में गत चक नं. 394 से बने प्रतिवादीगण के वर्तमान ख.नं. 1186 का रकबा पूर्व रकबे 1.10 है. के मुकाबले 0.85 है. दर्ज किया गया है। जिससे 0.25 है. की कुल पूर्व रकबे में कमी हो गई है। वर्तमान ख.नं. 1186 पूर्व चक नं. 394 के भाग पूर्व बन्दोबस्त के गत ख.नं. 1106 रकबा 02 बीघा 3 बिस्वा व ख.नं. 1107 रकबा 02 बीघा 5 बिस्वा कुल 04 बीघा 08 बिस्वा से बनाया गया है जो वर्तमान नक्शे में पूर्व नक्शे के मुकाबले छोटा बनाया जाकर दक्षिण दिशा का 0.25 है. भाग खसरा नम्बर में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान ख.नं. 1186 का नक्शा पूर्व के मुकाबले छोटा बनाया गया एवं 0.25 है. की कमी कर दी गई। जिसकी दुरुस्ती करवाने के प्रतिवादीगण काउन्टरक्लेम कर्ता अधिकारी है। प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण के गत चक नं. 394 के दक्षिण भाग जो पूर्व बन्दोबस्त के ख.नं. 1106 व 1107 रकबा 1.10 है. से वर्तमान ख.नं. 1186 रकबा 0.85 है. के रूप में नक्शा छोटा बनाया गया है। एवं रकबा 0.25 है. कम कर दिया गया है। अतः ख.नं. 1186 का रकबा 0.85 है. के स्थान पर 1.10 है. रिकॉर्ड में अंकित किया जावे एवं उक्तानुसार नक्शा संशोधित किया जावे। उक्तानुसार रकबे में अन्तर का क्षेत्र ख.नं. 1186 के सींव जोड गै.मु. नदी में गलत तौर पर शामिल कर दिया गया है। जिसे दुरुस्त किया जाना अपेक्षित है।

वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं जवाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों क्रम में तहसीलदार आमेर को मौका एवं वस्तु स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार आमेर ने अपनी मौका रिपोर्ट

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर



P.T.O.

10-5-16 दि० 3-03-10 द्वारा अवगत कराया है कि प्रतिवादीगणों के साविक खसरा नम्बर 394 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा के नये ख.नं. 1154, 1155, 1161, 1159, 1183 से 1186, 1180/1325 रकबा 3.58 हे. का मिलान करने पर सही आता है तथा ख.नं. 1161 मि. का रकबा 0.10 हे. तथा 1180/1325 का 0.07 हे. कुल रकबा 0.17 हे. साविक एवं हाल नक्शा मिलान करने पर वादीगण के गत ख.नं. 396 द्वारा बनना चाहिए था जो कि नहीं बना है। जबकि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त रकबा ख.नं. 394 (प्रतिवादीगण) से बना है। जो कि वादीगण के पक्ष में (खाते में) दुरूस्ती योग्य है। यदि उक्त भूमि वादीगण को दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित की जाती है तो प्रतिवादीगण की खातेदारी में कमी होती है। ख.नं. 1177 का रकबा अनुसार राजस्व रिकार्ड 1.10 हे. जबकि साविक रिकार्ड से मिलान करने पर 0.14 हे. की कमी आती है। उक्त रकबे की कमी पूर्ति मुताबिक साविक नक्शे के ख.नं. 394 हाल ख.नं. 1161 में 0.10 हे. तथा ख.नं. $\frac{1180}{1325}$ रकबा 0.04 हे. इस प्रकार कुल 0.14 हे. की कमी पूर्ति हो सकती है। किन्तु प्रतिवादीगण की खातेदारी में 0.14 हे. की कमी हो जाएगी। इस प्रकार ख.नं. 1161 व $\frac{1180}{1325}$ मुताबिक साविक ख.नं. 396 के दुरूस्ती योग्य है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार आमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट दि० 07-03-07 द्वारा अवगत कराया गया है कि वादीगण के ख.नं. 1165 का रकबा 0.07 हे. है। जो मुताबिक रिकार्ड गै.मु. रास्ता दर्ज है। उक्त ख.नं. साविक ख.नं. 396 से ही बना है मौके पर उक्त ख.नं. में मिट्टी की डोल बनी हुई है। तथा साविक ख.नं. 396 में कोई रास्ता दर्ज नहीं है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में उभयपक्ष कारान को सुना गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर



P.T.O.

10-5-16 वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट को अपर्याप्त बताते हुए कथन किया है कि प्रतिवादीगण के मालिकी ख.नं. 394 के नवीन खसरा नम्बरान का मिलान करने पर रकबे में अन्तर आता है, जो वादीगण के पक्ष में दुरुस्ती किए जाने बाबत वाद का विषय है। उक्त ग्राम का पूर्व में एकीकरण हुआ है। चक नं. 394 में पूर्व में भू प्रबन्ध विभाग गत ख.नं. 1097 मि. रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, ख.नं. 1098 रकबा 01 बिस्वा, ख.नं. 1099 रकबा 01 बीघा, ख.नं. 1100 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 1103 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 1104 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 1105 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 1106 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 1107 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 1110/3 रकबा 10 बिस्वा कुल किता-10 कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा से बनाया गया है। वर्तमान बन्दोबस्त ख.नं. 1186 रकबा 0.85 है. गत बन्दोबस्त के ख.नं. 1106 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व ख.नं. 1107 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा से बनाया गया है। जिसका रकबा परिवर्तन में 1.10 है. होता है जबकि उक्त ख.नं. से बने हाल खसरा नं. का रकबा 0.85 है. दर्ज है। इस प्रकार 0.25 है. की कमी पूर्व रकबे के अनुसार वर्तमान में वास्तविकता से कम दर्ज किया है एवं इसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी वादी के गत खसरा नम्बरान बन्दोबस्त ख.नं. 1095 रकबा 04 बिस्वा, ख.नं. 1097 मि. रकबा 09 बिस्वा व ख.नं. 1090/1 मि. रकबा 08 बिस्वा कम करके हाल नक्शा तैयार किया है। इस कमी रकबे की पूर्ति वादी के हाल ख.नं. 1177 व 1178 में रकबा क्रमशः 0.20 है. व 0.05 है. वास्तविक रकबे से अधिक दर्ज कर दी गई है जिसकी दुरुस्ती आवश्यक है।

...क्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर जि. जयपुर



P.T.O.

10.05.16 वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे कथन किया है कि वादी के चक में से गत भू-प्रबन्ध के ख.नं. 1095 रकबा 04 बिस्वा, ख.नं. 1097 मिन रकबा 9 बिस्वा, ख.नं. 1090/1 मिन रकबा 08 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा का क्षेत्र कम कर दिया जाकर प्रतिवादी के चक नं. 394 में नाजायज शामिल कर दिया एवं पूर्व राजस्व नक्शा चक नं. 396 की सीमा कम कर दी गई तथा प्रतिवादी के गत भू-प्रबन्ध ख.नं. 1106 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा व ख.नं. 1107 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा से वर्तमान बन्दोबस्त में हाल ख.नं. 1186 बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल पूर्वानुसार 04 बीघा 08 बिस्वा नवीन प्रणाली अनुसार 1.10 है. के स्थान पर 0.85 है. दर्ज कर वास्तविक रकबे से 0.25 है. कम दर्ज कर वादी के क्षेत्र में नाजायज तौर पर पूर्ति की गई है। जिसकी दुरुस्ती पूर्व नक्शे व रकबे के अनुसार किया जाना न्यायोचित व अपेक्षित है।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वादी अधिवक्ता के कथनों के संदर्भ में सहमति व्यक्त की है। उभय पक्षकारान के भूमि के रकबे में अन्तर के समायोजन के संदर्भ में उभय पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा सहमति से कथन किया गया है कि वादी के चक नं. 396 की सीमा क्षेत्र को कम किया जाकर प्रतिवादीगण के वर्तमान ख.नं. 1161 मिन रकबा 0.15 है. व ख.नं. 1080/1325 रकबा 0.10 है. कुल रकबा 0.25 है. शामिल चक प्रतिवादी किया गया है। जिसे वादी के चक नं. 396 से बने ख.नं. 1162 व 1163 में शामिल किया जाना न्यायोचित होगा तथा वादी के खाते के हाल ख.नं. 1177 के रकबे में से 0.20 है. व ख.नं. 1178 के रकबे में से 0.05 है. कम करके दर्ज किया

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर



P.T.O.

10-05-16 जावे एवं प्रतिवादीगण के हाल ख.नं. 1186 के रकबा
को 0.85 है० के स्थान पर 1.10 है० दर्ज किया जाना
न्यायोचित है। इस प्रकार की दुरूस्ती की जाने पर
वादी एवं प्रतिवादीगण के चकों की सीमा पूर्व राजस्व
नक्शे के मुताबिक होकर रकबा पूर्वानुसार सही रूप से दर्ज
हो जावेगा। वकील प्रतिवादी ने उक्त संदर्भ में सहमति व्यक्त की है।

हमने उभय पक्ष कारान को सुना। पत्रावली
का अवलोकन किया। उभय पक्ष कारान अधिवक्तागण की
सहमति एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाके ग्राम देव का
हरवाड़ा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि
आ.ख.नं. 1180/1325 रकबा 0.10 है. व आ.ख.नं. 1161
मिन. रकबा 0.15 है. के उत्तरी भाग का वादी एवं तरतीबी
प्रतिवादीगण सं. 13 ता. 23 को (मृतक प्रतिवादीगण सं.
14, 15, 18 के कायम मुकामान को शामिल करते हुए)
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के
खातेदारी ख.नं. 1177 के रकबा 1.10 है. को दुरूस्त
कर रकबा 0.85 है. दर्ज किया जाने के आदेश दिए जाते
है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 2 ता. 12 के खातेदारी के
ख.नं. 1186 का रकबा 0.85 है. के स्थान पर 1.10
है. दर्ज किया जाने के आदेश दिए जाते है तथा ख.नं.
1165 रकबा 0.07 है. अंकितानुसार दर्ज गै.मु. रास्ता
निरस्त कर पूर्वानुसार अंकित किए जाने के आदेश दिए
जाते है।

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। तदनुसार
डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर